आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

05/03/24

आदेश

यह वाद आवेदक कैलाश मुण्डा, पिता स्व० बुचवा मुण्डा के आवेदन मौजा–कठहर गोन्दा, थाना सं०–201, खाता सं०–14, प्लॉट सं०–154 रकवा–60 डी० पर विपक्षी निर्मला देवी फोगला, पति नन्द किशोर फोगला वगैरह के नाम से आरंभ किया गया। वाद में Maintainability के बिन्दु पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उभय पक्ष द्वारा लिखित बहस भी दाखिल किया गया है। उभय पक्षों को सुनने एवं दाखिल कागजातों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि उक्त भूमि वापसी हेतु आवेदक के पूर्वज तोता मुण्डा, पिता बुधुवा मुण्डा ने निर्मला देवी फोगला के नाम से एस०ए०आर० वाद सं० 81/85–86 तथा दुसरा एस०ए०आर०वाद सं० 261/87 हरि शंकर सिंघानिया के नाम से दायर किया था। इस वाद को तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा खारिज किया जा चुका है। इसी भूमि पुनः वर्तमान में आवेदक उसी वंशावली के आधार पर यह वाद दाखिल किया है। पूर्व में यह वाद कालबाधित होने के कारण निरस्त किया जा चुका है। वर्तमान में पुनः उसी भूमि की जमीन वापसी हेतु वाद दायर किया जाना उचित प्रतीत नही होता हैं। यह वाद Res-Judicata के अन्दर आता है। वर्णित भूमि छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम के धारा–49 के तहत उपायुक्त, राँची से वाद सं०–36R8II/1960-61 के द्वारा अनुमति प्राप्त किया गया था। धारा–49 के तहत अनुमति प्राप्त होने के बाद धारा–71"A" लागु नहीं माना जाता है, इस संबंध में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में 2003(3) JCR pg. 492 further it is held in the case of Niranjan Mahli and Ors Vs state of Bihar and Ors में आदेश पारित है। वर्णित भूमि को दिनांक 26.06.1961 में विक्रय पत्र सं०–4057 द्वारा हस्तान्तरित भी किया गया है। विपक्षी वर्णित भूमि को क्रय द्वारा प्राप्त किया है, तथा वाद में प्रश्नगत भूमि का अंतरण की तिथि वर्ष 1961 है, और आवेदक के द्वारा लगभग 60 वर्षो के बाद भू–वापसी हेतु यह वाद दायर की गयी है। जबकि छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम के धारा–71"A" के अन्तर्गत आवेदन 30 वर्षो के अन्दर ही दायर की जानी चाहिए।

अतःवाद पोषणीय (Maintainability) नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं विपक्षी द्वारा दाखिल साक्ष्य के आधार पर आवेदक का आवेदन काल–बाधित है। प्रश्नगत भूमि पर 71"A" लागू नहीं होता है। अतः आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.05.17 14:47:50 +05:30
Location: 192.168.165.39

Mi 5/3/24
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Mi 5/3/24
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।